

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

E-mail

क्रमांक एफ 17(12)खा.वि./न्याय/2009

जयपुर, दिनांक 28.05.2018

जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर प्रत्येक माह की 16 तारीख से प्रारम्भ होकर माह की अन्तिम तारीख तक उपभोक्ता पखवाडा के दौरान खाद्य सामग्री का वितरण करने बाबत।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17(12)खा.वि./न्याय/2009 दिनांक 10.11.2014 से सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता पखवाडा प्रत्येक माह की दिनांक 10 से 24 तारीख तक लागू किया गया था।

गेहूँ उठाव की प्रक्रिया एवं उपभोक्ताओं की सुविधा के दृष्टिगत, निर्देशानुसार उपभोक्ता पखवाडा प्रत्येक माह की 16 तारीख से प्रारम्भ होकर माह की अन्तिम तारीख तक मनाया जावेगा। शेष दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक 17(12)खा.वि./विधि/2009 दिनांक 03.01.2014 के अनुसार लागू रहेंगे।

-sd-
(मातादीन शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांक एफ 17(12)खा.वि./न्याय/2009

जयपुर, दिनांक 28.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
7. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
8. महाप्रबंधक (राज्य स्तरीय समन्वय), तेल उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ प्रबंधक, आई.ओ.सी.एल., बीपीसीएल., एचपीसीएल, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग (मुख्यालय) को प्रेषित कर लेख है कि सम्पूर्ण राज्य में समाचार पत्र एवं अन्य मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), खाद्य विभाग, जयपुर को विभागीय साईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित है।
12. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव